न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 101/2022

प्रार्थी

गीता कंवर पत्नी स्वर्गीय श्री भरतराजसिंह, जाति–राव, निवासी– पोसालिया, तहसील–शिवगंज, जिला सिरोही (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण

1. प्रवीण सिंह पुत्र श्री शैतानसिंह, जाति– राव, निवासी– रतनसागर, पोसालिया, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही (राज.)
2. जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री शैतानसिंह, जाति– राव, निवासी– रतनसागर, पोसालिया, तहसील शिवगंज जिला सिरोही (राज.)
3. ग्राम पंचायत, पोसालिया जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत पोसालिया, जिला सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, प्रार्थीया (निगरानीकार) की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से

–ः निर्णय ः– **दिनांक 25 जुलाई, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीया (निगरानीकार) ने यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी प्रवीणसिंह, जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री शैतानसिंह, निवासी– पोसालिया के पक्ष में क्षेत्रफल 1102–50 वर्गफीट भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत जारी पट्टा संख्या 7 दिनांक 20–12–2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया एवं दस्तावेज व फोटोग्राफस् की छाया प्रति प्रस्तुत की गई। जबकि अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) को नोटिस की तामिल होने पर निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से अधिवक्ता श्री मदन सिंह राव उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 22–7–2025 को अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के अधिवक्ता उपस्थित भी नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थीया (निगरानीकार) के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से जारी पट्टा संख्या 07 दिनांक 20.12.2021, विधि व तथ्यों के विरूद्ध एवं मौके की स्थिति के विपरित जारी करने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीया, ग्राम पोसालिया, ग्राम पंचायत पोसालिया की स्थायी निवासी हैं और परिवार सहित अपने विवाह के समय से निवास करती आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2, प्रार्थीया के जेठ के पुत्र है। प्रार्थीया के ससुर स्वर्गीय केरसिंहजी ने अपने जीवनकाल में जो भी सम्पत्ति अर्जित की थी जिसमें उक्त प्रश्नगत भूखण्ड जो ग्राम पोसालिया में रावो के वास में पोसालिया–अरठवाडा झुपडी रोड़ पर आया हुआ है। उक्त भूखण्ड के मालिकी, स्वामित्व व आधिपत्य कदीम से केरसिंहजी का होने से उन्होने दिनांक 24–4–2000 को जरिये

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

लिखत बेचाननामा के प्रार्थीया को उनके वारिसों के रूबरू बेचान किया था एवं प्रार्थीया ने उक्त प्रश्नगत भूखण्ड़ क्रय कर उसका कब्जा उसी समय प्राप्त कर उस पर नींव भराई का कार्य करवाकर रखा हुआ है जो मौके पर आज भी नीव भरी हुई है। उक्त भूखण्ड की चतुदर्शी उत्तर दिशा में स्वर्गीय केरसिंहजी पुत्र ओबसिंहजी का प्लोट व हनुमानजी का मंदिर, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में लक्ष्मणसिंहजी का बाडा व पश्चिम में वर्तमान में रास्ता है तथा नाप उत्तर–दक्षिण 23 फीट व पूर्व–पश्चिम 45 फीट कुल क्षेत्रफल 1035 वर्गफीट है। उक्त वर्णित भूखण्ड पर प्रार्थीया के पति भरतराजसिंह ने अपनी आय से उक्त भूखण्ड़ पर नीव भराई कर ढाई फीट कुर्सी भरी हुई हैं, इसके अलावा इस पर कोई निर्माण किया हुआ नहीं है। उक्त भूखण्ड पर कभी भी मानव निवास या पुराना आवास या गृह नहीं रहा है। गत करीब 3 वर्ष पूर्व ही प्रार्थीया ने खाली भूखण्ड़ पर निर्माण कार्य करवाया है। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूखण्ड़ पर जाकर निर्माण कार्य चालु करवाने हेतु साफ सफाई का कार्य करने लगी, तब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थीया को उक्त भूखण्ड़ का पट्टा अपने नाम करवाने का कहने एवं झगड़ा फंसाद करने पर प्रार्थीया को पता चला कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने ग्राम पंचायत, पोसालिया से मेल मिलाप कर उसके कब्जे शुदा भूखण्ड़ का पट्टा संख्या 7 विधि विरूद्ध तरीके से नियमों को ताक में रखकर अपने नाम से वर्ष 2021 में बनवाया है। केरसिंहजी के स्वामित्व व आधिपत्य के उक्त पुश्तैनी भूखण्ड को प्रार्थीया द्वारा सन् 2000 में खरीद किया हुआ हैं उक्त प्रश्नगत भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम पर पट्टां जारी करने का ग्राम पंचायत, पोसालिया को कानूनन कोई हक अधिकार नहीं हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के प्रभाव में आकर उक्त भूमि का फर्जी पट्टा जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा मौके का भौतिक सत्यापन किये बिना ही मौके की भौतिक स्थिति के विपरित जाकर उक्त भूखण्ड़ पर भवन निर्मित नहीं होते हुए भी विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना फर्जी व गलत पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से जारी किया है। प्रार्थीया को अपने खरीद शुदा प्लोट में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अवरोध पैदा करने पर प्रार्थीया ने उक्त कृत्य की शिकायत ग्राम पंचायत कार्यालय में की, तब प्रार्थीया को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने चोरी चुपके वर्ष 2021 में प्रार्थीया के कब्जे व हक हिस्से की भूमि को सम्मिलित करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बिना कब्जे के ग्राम पंचायत पोसालिया ने पट्टा बनाकर जारी किया है। प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने गृहों के विनियमितीकरण में जारी किया है, जबकि उक्त भूखण्ड़ पर कोई पुराना गृह बना हुआ नहीं है तथा न ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का उस पर निवास रहा हैं अप्रार्थी संख्या 1 व 2, प्रश्नगत भूखण्ड़ से अन्यत्र रतन सागर क्षेत्र में परिवार सहित निवासरत् है तथा उनके आवासीय भूखण्ड के अलग से पट्टे बने हुए है जिनके पट्टा संख्या 50 व 8 है। प्रश्नगत पट्टा संख्या 7 में शुल्क राशि दर्शायी हुई है जिसमें मिसल संख्या अंकित नही है। ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 7 अवैध व शून्य है तथा उसे निरस्त किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। यदि उक्त पट्टे को निरस्त नहीं किया जाता है तो प्रार्थीया अपने हक हिस्से की वैध, स्वामित्व व कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगी। प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिए बिना तथा विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना ही ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा बिना कब्जे एवं भौतिक स्थिति का अवलोकन किये बिना ही पट्टा जारी करने, प्रार्थीया की खरीद व कब्जाशुदा भूमि पर प्रार्थीया द्वारा साफ सफाई का कार्य करने व निर्माण कार्य में अवरोध पैदा कर उस पर कब्जा करने का प्रयास कर झगड़ा फंसाद करने पर प्रथम बार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अवैध पट्टे की जानकारी होने से यह निगरानी आवेदन पेश किया है। अतः प्रार्थीया का निगरानी आवेदन विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत,

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 7 दिनांक 20—12—2021 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीया के ग्राम पोसालिया में विवाह के समय निवास करने एवं प्रार्थीया, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की चाची होना स्वीकार है। केरसिंहजी की पुश्तैनी स्वामीत्व का मकान गाँव पोसालिया में रावों की गली में आया हुआ है, जो सभी वारिसान के संयुक्त स्वामीत्व तथा कब्जे का है, वर्तमान में उक्त मकान में प्रार्थीया के छोटे देवर राजेन्द्रसिंह निवास कर रहे है तथा प्रार्थीया की सासु गवरीकंवर भी अपने छोटे पुत्र राजेन्द्रसिंह राव के साथ निवास कर रही थी। वादग्रस्त भूखण्ड केरसिंहजी के कब्जे मालकी तथा अधिपत्य का नही है। केरसिंह जी द्वारा उक्त प्रश्नगत भूखण्ड को दिनांक 24—4—2000 को जरिए लिखत बेचाननामा के प्रार्थीया को उनके वारिसान के रूबरू विक्रय करने, कब्जा प्रार्थीया द्वारा प्राप्त करने, प्रार्थीया द्वारा नींव भराई का कार्य उसी समय कर देने का कथन भी गलत व मनगढंत होने से अस्वीकार है। प्रश्नगत पट्टा संख्या 07 की सम्पत्ति में पुराने केल्हुपोश निर्माण को हटाकर उसके स्थान पर तीन फीट गहरी नींव खोदकर तीन फीट तक प्लिंथ का निर्माण कार्य अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा करीब 8 वर्ष पूर्व करवाया गया था। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता शैतानसिंह जी द्वारा उक्त सम्पत्ति मौखिक पारिवारिक समझौता में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रद्रान की है। उसके बाद से अप्रार्थी संख्या 1 व 2, उक्त प्रश्नगत पट्टा की सम्पत्ति पर बतौर मालिक काबिज है। जिसका ग्राम पंचायत, पोसालिया विधि अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में पट्टा जारी किया गया है तथा पट्टे का पंजीयन भी करवाया है, जिसकी प्रार्थीया को प्रारम्भ से ही जानकारी है। उक्त सम्पत्ति अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, जिसमें प्रार्थीया या केरसिहजी के अन्य वारिसान का कोई हक अधिकार नहीं रहा है एवं न ही वादग्रम्पति से प्रार्थीया का कोई लेना देना है तथा न ही उक्त प्रश्नगत सम्पति को प्रार्थीया ने क्रय किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा ग्राम पंचायत से निर्माण स्वीकृती प्राप्त कर आगे निर्माण कार्य की तैयारी करने के बाद भरतराजसिंह के पुत्रों ओमकारसिंह, नेहपालसिंह तथा प्रार्थीया गीताकुंवर ने निर्माण कार्य करने में बाधा उत्पन्न की, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने सिविल न्यायालय, शिवगंज में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया तथा न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में जारी की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उनके पिता शैतानसिंह द्वारा प्रश्नगत पट्टे की सम्पति को मौखिक पारिवारिक विभाजन में दिया था। शैतानसिहजी ने ही उक्त प्रश्नगत पट्टे की सम्पत्ति पर 08 वर्ष पूर्व निर्माण कार्य अपने स्वयं के खर्चे से करवाया था। उक्त सम्पत्ति केरसिंहजी राव की सम्पत्ति नहीं है बल्कि शैतानसिंहजी की स्वअर्जित सम्पत्ति है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता शैतानसिंहजी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दी गई आवासीय सम्पत्ति का पट्टा बनाए जाने हेतु ग्राम पंचायत, पोसालिया में आवेदन करने पर ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा संबंधित आज्ञापक प्रावधानों का पालन करते हुए मौके की जांच कर नियमानुसार आपत्ति नोटिस जारी करके अन्दर मियाद कोई आपत्ति प्रस्तुत नही होने पर विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है, जो राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अर्न्तगत निर्मित आवास का पट्टा जारी किया गया है, जिसमें कोई अवैधता या अनियमिता नही रही है। उक्त प्रश्गनत पट्टा, उप पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है व कानूनन पंजीकृत दस्तावेज को निगरानी के जरिये चुनौती नही दी जा सकती है। प्रार्थीया को उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 7 की प्रारम्भ से ही जानकारी होने के बावजूद भी प्रार्थीया द्वारा गलत व मनगन्ढत कथनों के आधार पर केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को हेरान व परेशान करने तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के स्वामित्व की सम्पत्ति को

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

हडप करने के आशय से यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त सम्पत्ति केरसिंहजी के स्वामीत्व तथा कब्जे की है। अतः प्रार्थीया का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी प्रवीण सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह, निवासी– पोसालिया को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1102–50 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 7 दिनांक 20–12–2021 को जारी किया गया है। संबंधित कानून, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान संनिर्मित पुराने गहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नई बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।

इस संबंध में प्रार्थीया (निगरानीकार) का मुख्यतः कथन यह है कि ''प्रार्थीया के ससुर स्वर्गीय केरसिंहजी ने अपने जीवनकाल में जो भी सम्पत्ति अर्जित की थी जिसमें उक्त प्रश्नगत भूखण्ड़ जो ग्राम पोसालिया में रावों के वास में पोसालिया– अरठवाडा झुपडी रोड़ पर आया हुआ है। उक्त भूखण्ड के मालिकी, स्वामित्व व आधिपत्य कदीम से केरसिंहजी का होने से उन्होने दिनांक 24–4–2000 को जरिये लिखत बेचाननामा के प्रार्थीया को उनके वारिसों के रूबरू बेचान किया था एवं प्रार्थीया ने उक्त प्रश्नगत भूखण्ड़ क्रय कर उसका कब्जा उसी समय प्राप्त कर उस पर नीवं भराई का कार्य करवाकर रखा हुआ है जो मौके पर आज भी नीवं भरी हुई है। उक्त भूखण्ड की चतुदर्शी उत्तर दिशा में स्वर्गीय केरसिंहजी पुत्र ओबसिंहजी का प्लोट व हनुमानजी का मंदिर, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में लक्ष्मणसिंहजी का बाडा व पश्चिम में वर्तमान में रास्ता है तथा नाप उत्तर–दक्षिण 23 फीट व पूर्व–पश्चिम 45 फीट कुल क्षेत्रफल 1035 वर्गफीट है। उक्त वर्णित भूखण्ड पर प्रार्थीया के पति भरतराजसिंह ने अपनी आय से नीवं भराई कर ढाई फीट कुर्सी भरी हुई हैं, इसके अलावा इस पर कोई निर्माण किया हुआ नहीं है। उक्त भूखण्ड पर कभी भी मानव निवास या पुराना आवास या गृह नहीं रहा है।''

प्रकरण में प्रार्थीया (निगरानीकार) ने निगरानी आवेदन के साथ ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त प्रश्नगत भूखण्ड केरसिंह जी के मालिकी, स्वामित्व व आधिपत्य की स्वअर्जित सम्पति हो।

......पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

प्रकरण में प्रार्थीया (निगरानीकार) ने निगरानी आवेदन में अंकित कथन के समर्थन में केरसिंह पुत्र ओबसिंह जी, जाति– राव, निवासी– पोसालिया द्वारा प्रार्थीया गीताकुंवर पत्नी श्री भरतराजसिंह, जाति– राव, निवासी– पोसालिया के पक्ष में निष्पादित लिखित बेचाननामा दिनांक 24–4–2000 (जो प्रार्थीया के कथन अनुसार, निगरानी आवेदन में अंकित नाप व चतुर्दशी के प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में केरसिंह जी द्वारा प्रार्थीया गीताकुंवर के पक्ष में निष्पादित नाम किया है) की छाया प्रति प्रस्तुत की है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त लिखित बेचाननामा पंजीकृत नही है व उक्त लिखत बेचाननामा में बतौर साक्षी केरसिंह जी की पुत्रियां, पत्नी व पुत्र राजेन्द्रसिंह के ही हस्ताक्षर है, लेकिन केरसिंह जी के अन्य पुत्रों के उक्त लिखित बेचाननामा पर हस्ताक्षर किये हुए नही है। जबकि विधि अनुसार किसी सम्पति का विक्रय विलेख संबंधित उप पंजीयक कार्यालय से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके विपरित, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के जवाब में अंकित कथनों के समर्थन में श्री केरसिंह पुत्र ओबसिंह जी, जाति– राव, निवासी– पोसालिया द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 28–4–2001 (जो उप पंजीयक कार्यालय, शिवगंज में दिनांक 07–5–2001 को पंजीकृत हुआ है) की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसका अवलोकन करने पर यह पाया गया कि श्री केरसिंह पुत्र ओबसिंह जी, जाति– राव, निवासी– पोसालिया द्वारा उनके पुत्रों शैतानसिंह, अर्जुनसिंह, भरतराजसिंह व राजेन्द्रसिंह पिसरान श्री केरसिंह, जाति– राव, निवासी– पोसालिया के पक्ष में उनकी सम्पति के संबंध में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है एवं इस वसीयतनामा के द्वारा श्री केरसिंह जी पुत्र ओबसिंह जी राव, निवासी– पोसालिया ने उनकी तमाम अचल सम्पति मकान, प्लोट खेत, अरठ, कुआं इत्यादि का हिस्सा उनके उक्त चारों पुत्रों में बराबर बराबर रुप से वसीयत किया है।

चूंकि प्रार्थीया (निगरानीकार) द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 7 दिनांक 20–12–2021 की भूमि पर पट्टा जारी करने के समय मौके पर आवासीय मकान बना हुआ नही हो। प्रार्थीया (निगरानीकार) ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि मौके पर प्रश्नगत भूखण्ड़ खाली भूखण्ड हो। जबकि निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने का दायित्व प्रार्थी निगरानीकार का है, लेकिन प्रार्थीया (निगरानीकार) निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में मुख्यतः विवाद, उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर कब्जे स्वामित्व व हक अधिकारों का है एवं सम्पति पर कब्जे स्वामित्व व हक अधिकारों को सक्षम न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार हस्तगत निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।निर्णय आज दिनांक 25 जुलाई, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही